यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष तडीयाल, ले.प. एवं श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.11.2018 से 07.12.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन, नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.11.17 से 21.11.17 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2287.86
2016-17	2086.95
2017-18	1085.58

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **पौडी श्रीनगर तहसील से सम्बन्धित** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 1- कर का अनारोपण ₹6.12 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर श्रीनगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री राजेन्द्र सिंह कुलदीप सिंह टिन 05004843429 द्वारा संगत वर्ष 2014-15 में आयात फार्म के सापेक्ष ₹4535000/- का HYUNDAI HYDRAULIC EXCAVATOR पुणे महाराष्ट्र से आयात किया गया था। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत बिल में विक्रेता पुणे एवं क्रेता श्री सुरेश कुमार नज़बगढ़ दिल्ली है। इस मशीनरी को उक्त व्यापारी द्वारा आयात फार्म संख्या 1178928 के सापेक्ष ₹4535000/- का आयात किया गया था। व्यापारी द्वारा बैलेंस शीट प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त मशीनरी की पुष्टि नहीं हो सकी। अत: ₹ 4535000/- की EXCAVATOR की बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से ₹612225/ कर आरोपणीय था, जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा व्यापारी से बैलेंस शीट प्राप्त कर आख्या प्रस्तुत किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त कर का अनारोपण ₹6.12 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 2- टी0डी0एस0 की धनराशि देरी से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु. 3.30 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा 8 के अनुसार यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने मे असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) के अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, श्रीनगर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित तीन संविदी विभागों द्वारा स्रोत से टी डी एस की कटौती कर विलंब से जमा करने पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था

1- व्यापारी सर्वश्री - अधिशासी अभियंता,ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 पौढ़ी गढ़वाल टिन नं0 - 05009614665 कर निर्धारण वर्ष- 2014-15 विभाग में पंजीकृत है। विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों को किए गए भुगतान पर टी0डी0एस0 कटौती कर जमा किया जाता है। संगत वर्ष में कुल भुगतान ₹85466606.00 के सापेक्ष ₹1408287.00 टी0डी0एस0 की कटौती कर जमा किया गया था, जिसमें से टी.डी.एस ₹49630.00 दिनांक 30/09/2014 को किये गये भुगतान (₹4963005) के सापेक्ष देरी से दिनांक 31/12/2014 को जमा किया गया था। जबकि नियमानुसार अगले माह की अंत तक जमा किया जाना वांछित था।

2- व्यापारी सर्वश्री - मै0 गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौढ़ी गढ़वाल टिन नं0 - 05004802883 कर निर्धारण वर्ष- 2014-15 द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों को किए गए भुगतान पर टी0डी0एस0 कटौती कर जमा किया जाता है। संगत वर्ष में कुल भुगतान ₹8652240.00 के सापेक्ष ₹346089.00 टी0डी0एस0 की कटौती कर जमा किया गया था, जिसमें से टी.डी.एस ₹40000.00 दिनांक 09/08/2011 को किये गये भुगतान (₹1000000) के सापेक्ष देरी से 20/12/2011 को जमा किया गया था।

3- सर्वश्री खण्ड विकास अधिकारी कोट पौड़ी गढ़वाल (टिन नं0 06260200005) द्वारा वर्ष 2014-15 में संविदाकारों से कराये गए निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतान ₹1991200/- पर ₹119472/- टी डी एस काट कर सरकारी कोषागार में जमा किया गया था। उपरोक्त टी डी एस धनराशि में ₹75600/- विलंब से जमा की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	अवधि	देय तिथि	जमा करने की दिनांक	कर की धनराशि
1.	जुलाई	31-08-14	08-11-14	3600
2.	सितम्बर	31-10-14	08-11-14	66000
3.	दिसम्बर	31-01-15	25-03-15	6000
			योग	**75600**

अतः उक्तानुसार कुल TDS की धनराशि ₹165230.00 (₹49630 +₹40000 +75600) का दोगुना ₹330460/- अर्थदण्ड आरोपणीय था, जिसे आरोपित कर वसूला नहीं गया था।

इसे इंगित करने पर विभाग द्वारा संबन्धित विभाग को पत्राचार कर आख्या प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः अर्थदण्ड का अनारोपण ₹3.30 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 03 आई.टी.सी ₹1.56 लाख का अनियमित लाभ दिया जाना।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिए पंजीकृत ब्योहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु ओर ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जैसे कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किए गए क्रय के धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जाएगी जैसी की विहित की जाये।

कार्यालय सहायक आयुक्त, (कर निर्धारण) राज्य कर श्रीनगर के लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि मै0 भारत मेडिकल स्टोर, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, दवाओं, डायपर, कौसमेटिक एवं शक्तिवर्धक दवाओं की खरीद-बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष- 2013-14 में कुल ₹2880331.74 की खरीद किया जाना दिखाया गया था, के सापेक्ष ₹155548.22 का आई0टी0सी0 दावा किया गया था, जिसका लाभ विभाग के द्वारा दिया गया, लेकिन अभिलेखों में खरीद सूची एवं कोई भी बीजक जिसमे व्यापारी द्वारा प्रांतीय खरीद पर कर दिया गया हो, का कोई प्रमाण संलग्न नहीं पाया गया । प्रांतीय खरीद पंजीकृत व्यापारियों से किए जाने के साक्ष्य के बिना आई0टी0सी0 दावा स्वीकार्य किया जाना अनियमित था। अतः विभाग द्वारा ₹155548.22 अनियमित आई0टी0सी0 का लाभ दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "लेखा परीक्षा द्वारा मांगे गये अभिलेख यथा क्रय सूची एवं बीजक उपलब्ध करा दी जायेगी"

अतः बिना वांछित अभिलेखों के ही आई0टी0सी0 का लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹1.56 लाख की क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 4- अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.23 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्ति कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) राज्य कर, श्रीनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर ₹229100/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ₹22910/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा। (संलग्नक)

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कराये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा की जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	क.नि. वर्ष	धनराशि (₹)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (₹)
1	सर्व श्री सीमा स्टोन क्रेशर	2015-16	38800(प्रथम तिमाही) 38600(द्वीतीय तिमाही) 45000(तृतीय तिमाही) 23500(चतुर्थ तिमाही)	20.07.15 20.10.15 20.01.16 20.04.16	31.07.15 26.10.15 28.01.16 04.05.16	3880 3860 4500 2350
2	ओम आँटोमोबाइल्स	2015-16	83200(चतुर्थ तिमाही)	20.04.16	10.05.16	8320
	योग		229100			22910/-

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
02/2008-09	01,02,03	01,02,03,04	
16/2009-10	01,02	01,02,03	
39/2010-11	01	01	
47/2012-13	-	01	
08/2014-15	-	01,02,03	
02/2016-17	-	01	
107/2017-18	-	01	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
02/2008-09	01,02,03	01,02,03,04		
16/2009-10	01,02	01,02,03		
39/2010-11	01	01		
47/2012-13	-	01		
08/2014-15	-	01,02,03		
02/2016-17	-	01		
107/2017-18	-	01		

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री श्यामदन्त शर्मा	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र